प्रपत्र छः(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)

भू– विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन का प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

कुंज बिहारी इन्फा
द्वारा–श्री हरगोविन्द मोदी(पार्टनर)
नि.मो.रोशनगंज,शाहजहॉपुर।

महोदय,

ग्राम मढा,परगना जमौर,तहसील सदर,जनपद शाहजहॉपुर के खसरा नं0 299पी.,300पी. व 301पी. के अन्तर्गत स्थित भूमि कुल क्षेत्रफल 2641.00 वर्ग मीटर पर आवासीय प्रयोजन से भूमि के उपविभाजन एवं विकास कार्य की अनुज्ञा हेतु आपके आवेदन पत्र संख्या 244/2020–21 दिनांकित 16–01–2021 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– यह स्वीकृति, स्वीकृति के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिये वैध है।इस अवधि में प्रस्तावित कालोनी के अन्दर प्राविधानित सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराना होगा एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप ङः पर प्रस्तुत करनी होगी।

2– स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमन्य होगा।स्वीकृति के विपरीत किसी भी प्रकार का विकास एवं निर्माण अनुमन्य नही है।स्वीकृति के विपरीत विकास एवं निर्माण कार्य करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3– यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यह स्वीकृति आपने किसी तथ्य को छुपाकर,कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त कर ली है,तो इस स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

4– विन्यास मानचित्र,जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,केवल वही प्रयोग अनुमन्य होगा।

5– स्वामित्व सिद्ध करने के लिये विन्यास मानचित्र का उपयोग किसी भी न्यायालय में वैध नहीं समझा जायेगा अर्थात मानचित्र की स्वीकृति संस्था के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।

6– सडक,सरकारी भूमि अथवा सर्विस लेन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की जायेगी।

7– उ0प्र0राज्य वन नीति 1998 के अनुसार,प्रस्तावित कालोनी में न्यूनतम 30 वृक्ष लगवाना अनिवार्य होगा।

8– विकास एवं निर्माण कार्य के दौरान,विन्यास मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित विवरण की पट्टिका स्थल के बाहर स्थापित कराना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर स्वीकृत विन्यास मानचित्र की एक प्रति भी अनिवार्य रूप से रखना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा जॉच की जा सके।

12.02.2021

निरन्तर.....(2)

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शाहजहाँपुर

Scanned with CamScanner

9- समस्त निर्माण एवं विकास कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त वास्तुविद/अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण में भूकम्प रोधी मानक एवं अनुदेशों के अनुसार कराना होगा।निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान,कोई अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में,इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

10- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र को आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में उल्लिखित विवरण के आधार पर प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

11- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में प्रदर्शित सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था यथा-पार्क,सडक व नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु सक्षम अभिकरण को नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा।अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कृत्य की स्थिति में स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

12- भूखण्डों का विकय स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा।विक्रीत भूखण्डों पर भवन निर्माण प्रारम्भ कराने से पूर्व प्रथक-प्रथक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।विषयगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विषय का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में,स्वीकृत मानचित्र सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

13- प्रस्तावित योजना में आन्तरिक विकास कार्यों को कराने की प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखे गये भूखण्ड संख्या ए-1(रकवा 280.40 वर्गमीटर)का विकय सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूखण्ड बन्धनमुक्त करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

14- प्रस्तुत विन्यास मानचित्र में प्राविधानित पहूँच मार्ग केवल मानचित्र में दर्शित भूखण्डों के लिये ही मान्य होगा एवं इस विन्यास मानचित्र का भाग होगा।

15- प्रस्तावित कालोनी में रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

संलग्नक-स्वीकृत मानचित्र।
दिनांक-

नगर मजिस्ट्रेट/
सक्षम प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र
रामनगर
12-03-2021

Scanned with CamScanner